भारत सरकार
विधि और न्याय मंत्रालय
न्याय विभाग
लोक सभा
तारांकित प्रश्न सं. *178
जिसका उत्तर शुक्रवार, 06 दिसम्बर, 2024 को दिया जाना है

त्वरित विशेष न्यायालयों की स्थापना

***178. श्री सुरेश कुमार कश्यप :**

डॉ. के.सुधाकर :

क्या विधि और न्याय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आज तक कितने त्वरित विशेष न्यायालयों की स्थापना की गई है और इनके कामकाज की स्थिति से संबंधित विस्तृत जानकारी क्या है ;

(ख) नियमित अदालतों की तुलना में उक्त अदालतों से बलात्कार और लैंगिक अपराधों से बालकों के संरक्षण (पोक्सो) से संबंधित मामलों के निपटान की दर पर क्या प्रभाव पड़ा है ;

(ग) उक्त अदालतों की स्थापना और संचालन में सहायक बनी वित्तपोषण प्रणाली का ब्यौरा क्या है ; और

(घ) इस संदर्भ में, विशेषतः हिमाचल प्रदेश में निर्भया निधि का किस प्रकार उपयोग किया गया है ?

उत्तर

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार);
संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री अर्जुन राम मेघवाल)

(क) से (घ) : एक विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

****

<u>"त्वरित विशेष न्यायालयों की स्थापना" से संबंधित लोक सभा तारांकित प्रश्न सं. *178 जिसका उत्तर तारीख 06.12.2024 को दिया जाना है, के भाग (क) से (घ) के उत्तर में निर्दिष्ट विवरण।</u>

(क) : आपराधिक विधियां (संशोधन) अधिनियम, 2018 के अधिनियमन और माननीय उच्चतम न्यायालय (स्वतः संज्ञान रिट (आपराधिक) संख्या 1/2019) के आदेश के अनुसरण में बलात्संग और पोक्सो अधिनियम के मामलों के शीघ्र निपटान के लिए अनन्य पोक्सो न्यायालयों सहित त्वरित निपटान विशेष न्यायालयों (एफटीएससीएस) की स्थापना के लिए एक केंद्रीय प्रायोजित स्कीम प्रारंभ की गई है। इस स्कीम का दो बार विस्तार किया गया है, जिसमें नवीनतम विस्तार 31 मार्च 2026 तक है, जिसका लक्ष्य 790 न्यायालयों की

स्थापना करना है। उच्च न्यायालयों से प्राप्त इनपुट के अनुसार, 31.10.2024 तक 30 राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों में 408 अनन्य पोक्सो न्यायालयों सहित 750 एफटीएससीएस क्रियाशील हैं। इन न्यायालयों ने 31.10.2024 तक 2,87,000 से अधिक मामलों का निपटारा किया है । क्रियाशील अनन्य पोक्सो न्यायालयों सहित त्वरित निपटान विशेष न्यायालयों (एफटीएससीएस) और उनके निपटान के राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों-वार ब्यौरे **उपाबंध-1** पर दिए गए हैं।

त्वरित निपटान विशेष न्यायालयों की स्थापना, बालिकाओं और महिलाओं की सुरक्षा, लैंगिक और लिंग आधारित हिंसा से निपटने, बलात्संग और पोक्सो अधिनियम से संबंधित लंबित मामलों की संख्या कम करने और लैंगिक अपराधों के उत्तरजीवियों को न्याय तक शीघ्र पहुंच प्रदान करने के प्रति सरकार की अटूट प्रतिबद्धता को दर्शाती है।

(ख) : उच्च न्यायालयों से प्राप्त इनपुट के अनुसार, त्वरित निपटान विशेष न्यायालयों (एफटीएससीएस) में बलात्संग और पोक्सो अधिनियम के मामलों के निपटान की दर नियमित न्यायालयों की तुलना में काफी अधिक प्रतीत होती है। जबकि नियमित न्यायालयों में बलात्संग और पोक्सो अधिनियम के मामलों के निपटान की औसत दर प्रति माह प्रति न्यायालय 3.26 मामलों का अनुमान है, एफटीएससीएस$_{एस}$ प्रति माह औसतन 8.01 मामले ही निपटाते हैं। यह एफटीएससीएस के माध्यम से मामलों के निपटान में बढ़ी हुई दक्षता का संकेत देता है।

(ग) और (घ) : 16 दिसंबर, 2012 के निर्भया मामले के पश्चात्, सरकार ने एक समर्पित निधि - निर्भया निधि - की स्थापना की है, जिसका उपयोग विशेष रूप से महिलाओं की सुरक्षा और संरक्षा में सुधार के लिए तैयार की गई परियोजनाओं के लिए किया जा सकता है। यह एक गैर-व्यपगत योग्य समग्र निधि है, जिसका प्रशासन वित्त मंत्रालय के आर्थिक मामलों के विभाग द्वारा किया जा रहा है। महिला और बाल विकास मंत्रालय (डब्ल्यूसीडी मंत्रालय) निर्भया निधि के अधीन वित्त पोषित किए जाने वाले प्रस्तावों और स्कीमों का मूल्यांकन/सिफारिश करने वाला नोडल मंत्रालय है। महिला और बाल विकास मंत्रालय के पास संबंधित मंत्रालयों/विभागों के साथ मिलकर स्वीकृत स्कीमों की प्रगति की समीक्षा और मानीटरी करने का भी उत्तरदायित्व है।

निर्भया निधि के अधीन एफटीएससीएस की स्थापना और संचालन किया गया है। विभाग ने न्यायालयों के सुचारू संचालन को सुनिश्चित करने के लिए अपनी स्थापना के पश्चात् से राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों को कुल ₹ 1008.14 करोड़ जारी किए हैं, जिसमें 200.00 करोड़ रुपये के आबंटित बजट के सापेक्ष वर्तमान वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए जारी किए गए 173.59 करोड रू सम्मिलित है। यह निधि, सीएसएस पैटर्न (60:40, 90:10) के आधार पर जारी की जाती है तथा इसमें एक न्यायिक अधिकारी, सात सहायक कर्मचारियों के वेतन तथा दैनिक व्यय को पूरा करने के लिए एक फ्लेक्सी अनुदान सम्मिलित है। यह निधि, राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों को प्रतिपूर्ति के आधार पर जारी की जाती है, जिसका अवधारण संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में क्रियाशील न्यायालयों की संख्या के आधार पर किया जाता है। स्कीम की शुरुआत से लेकर अब तक हिमाचल प्रदेश राज्य को राज्य में 6 एफटीएससीएस के कामकाज के लिए केंद्रीय अंश के रूप में कुल 9.07 करोड़ रुपये जारी किए जा चुके हैं। हिमाचल प्रदेश राज्य से संबंधित जानकारी के साथ-साथ राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार जारी की गई रकम का विवरण **उपाबंध-2** पर दिया गया है।

****

उपाबंध-1

"त्वरित विशेष न्यायालयों की स्थापना" से संबंधित लोक सभा तारांकित प्रश्न सं. *178 जिसका उत्तर तारीख 06.12.2024 को दिया जाना है, के भाग (क) के उत्तर में निर्दिष्ट विवरण।

अनन्य पोक्सो न्यायालयों सहित क्रियाशील त्वरित निपटान विशेष न्यायालयों और उनके निपटान का राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार विवरण (31.10.2024 तक)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्यक्षेत्र का नाम	अनन्य पोक्सो न्यायालयों सहित क्रियाशील त्वरित निपटान विशेष न्यायालय	स्कीम की शुरुआत से अब तक संचयी निपटान
1	आन्ध्र प्रदेश	16	5839
2	असम	17	7076
3	बिहार	46	13762
4	चंडीगढ़	1	300
5	छत्तीसगढ़	15	5525
6	दिल्ली	16	2197
7	गोवा	1	83
8	गुजरात	35	13859
9	हरियाणा	16	6932
10	हिमाचल प्रदेश	6	1264
11	जम्मू-कश्मीर	4	242
12	झारखंड	22	7776
13	कर्नाटक	31	11872
14	केरल	55	22208
15	मध्य प्रदेश	67	28648
16	महाराष्ट्र	8	20561
17	मणिपुर	2	167
18	मेघालय	5	623
19	मिजोरम	3	237
20	नागालैंड	1	67
21	ओडिशा	44	16802
22	पुडुचेरी*	1	107
23	पंजाब	12	4489
24	राजस्थान	45	16511
25	तमिलनाडु	14	8534
26	तेलंगाना	36	9849
27	त्रिपुरा	3	419
28	उत्तराखंड	4	1747
29	उत्तर प्रदेश	218	79241
30	पश्चिमी बंगाल	6	193
31	अंदमान और निकोबार द्वीप समूह**	0	0
32	अरुणांचल प्रदेश***	0	0
	कुल	**750**	**287130**

* पुडुचेरी ने विशेष रूप से इस स्कीम में सम्मिलित होने का अनुरोध किया और मई 2023 में एक अनन्य पोक्सो न्यायालय का प्रचालन प्रारंभ कर दिया है।

** अंदमान और निकोबार द्वीप समूह ने इस स्कीम में सम्मिलित होने के लिए सहमति दे दी है।

*** अरुणाचल प्रदेश ने बलात्संग और पोक्सो अधिनियम के लंबित मामलों की बहुत कम संख्या का हवाला देते हुए स्कीम से बाहर निकलने का विकल्प चुना है।

टिप्पण: स्कीम के प्रारंभ में, देश भर में एफटीएससीएस का आबंटन प्रति न्यायालय 65 से 165 लंबित मामलों के मानदंड पर आधारित था, जिसका अर्थ है कि प्रत्येक 65 से 165 लंबित मामलों के लिए एक एफटीएससीएस की स्थापना की जाएगी। इसके आधार पर, केवल 31 राज्य/संघ राज्यक्षेत्र ही स्कीम में सम्मिलित होने के पात्र थे।

उपाबंध-2

"त्वरित विशेष न्यायालयों की स्थापना" से संबंधित लोक सभा तारांकित प्रश्न सं. *178 जिसका उत्तर तारीख 06.12.2024 को दिया जाना है, के भाग (ख) से (घ) के उत्तर में निर्दिष्ट विवरण।

त्वरित निपटान विशेष न्यायालय स्कीम के अधीन जारी रकम का राज्य-संघ राज्यक्षेत्रवार कुल केंद्रीय अंश (02.12.2024 को)

(करोड़ रुपए में)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्यक्षेत्र का नाम	वित्तीय वर्ष 2019-20 से वित्तीय वर्ष 2024-25 तक जारी कुल रकम (केंद्रीय अंश)
1	आन्ध्र प्रदेश	1.8
2	असम	26.65787
3	बिहार	70.665365
4	चंडीगढ़	0.1875
5	छत्तीसगढ़	21.8951
6	दिल्ली	13.2669
7	गोवा	1.16129
8	गुजरात	41.2409
9	हरियाणा	22.44234
10	हिमाचल प्रदेश	9.07991
11	जम्मू-कश्मीर	8.57994
12	झारखंड	20.49482
13	कर्नाटक	36.10824
14	केरल	54.78451
15	मध्य प्रदेश	105.96558
16	महाराष्ट्र	47.59724
17	मणिपुर	3.86372
18	मेघालय	7.14255
19	मिजोरम	7.31808
20	नागालैंड	1.75811
21	ओडिशा	54.9262
22	पुड्डुचेरी*	0.555405
23	पंजाब	13.93488
24	राजस्थान	84.14015
25	तमिलनाडु	25.465555
26	तेलंगाना	29.13895
27	त्रिपुरा	5.28433
28	उत्तराखंड	9.10444
29	उत्तर प्रदेश	281.40032
30	पश्चिमी बंगाल	1.816695
31	अंदमान और निकोबार द्वीप समूह**	--
32	अरुणांचल प्रदेश***	--
	कुल	**1008.14477**

* पुडुचेरी ने विशेष रूप से इस स्कीम में सम्मिलित होने का अनुरोध किया और मई 2023 में एक अनन्य पोक्सो न्यायालय का प्रचालन प्रारंभ कर दिया है।

** अंदमान और निकोबार द्वीप समूह ने इस स्कीम में सम्मिलित होने के लिए सहमति दे दी है।

*** अरुणाचल प्रदेश ने बलात्संग और पोक्सो अधिनियम के लंबित मामलों की बहुत कम संख्या का हवाला देते हुए स्कीम से बाहर निकलने का विकल्प चुना है।

टिप्पण: स्कीम के प्रारंभ में, देश भर में एफटीएससीएस का आबंटन प्रति न्यायालय 65 से 165 लंबित मामलों के मानदंड पर आधारित था, जिसका अर्थ है कि प्रत्येक 65 से 165 लंबित मामलों के लिए एक एफटीएससीएस की स्थापना की जाएगी। इसके आधार पर, केवल 31 राज्य/संघ राज्यक्षेत्र ही स्कीम में सम्मिलित होने के पात्र थे।

****